न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 39 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां (राज0 (प्रार्थी)

बनाम

भगवानदास पुत्र मल्लू जाति माली निवासी पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री गजेन्द्र नागर अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 16.09.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पलायथा में जमाबंदी सम्वत् 2067–70 आराजी खसरा नंबर 1081 / 2048 रकबा 0.45 है., किस्म तीर, 2096 / 1086 रकबा 0.64 है. किस्म बंजड़ कुल किता 2 रकबा 1.09 है. अप्रार्थी के खाते दर्ज है। उक्त आराजी के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044–63 ग्राम पलायथा की आराजी हाल खसरा नंबर 1081 / 2048 रकबा 0.45 है. साबिक खसरा नंबर 1409 / 768 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा से तथा हाल खसरा नंबर 2096 / 1086 रकबा 0.64 है साबिक खसरा नंबर 769 / 1 मि. रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 769 मुताबिक सेटलमेन्ट सम्वत 2010–29 के अनुसार ग्राम पलायथा में खसरा नं. 769 रकबा 449 बीघा 08 बिस्वा किस्म नदी दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 19.09.1998 को ग्राम पलायथा की आराजी खसरा नंबर 1086 / 3 रकबा 0.64 है., बंजड़ कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी को आवंटित कर उसके गैर खातेदारी में नामान्तरकरण संख्या 263 ग्राम पलायथा से दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

उक्त आवंटन / नि[illegible] अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका [illegible]36 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च [illegible] 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत नदी दर्ज किया जाना आवश्यक [illegible] अतः उक्त आवंटन [illegible]न को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible]ाये जाने हेतु निवेदन [illegible]ाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:48 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि ग्राम पलायथा की आराजी खसरा नंबर 2096/1086 रकबा 0.64 है. दिनांक 19.09.1998 को एलोटमेन्ट की जाकर दखल दिया गया था तब से प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी की आजीविका का उक्त आराजी एकमात्र आधार है। अतः उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पलायथा में सेटलमेन्ट 2010—2029 के अनुसार आराजी खसरा नं. 769 रकबा 449 बीघा 8 बिस्वा किस्म नदी दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 19.09.1998 को ग्राम पलायथा की आराजी खसरा नंबर 1086/3 रकबा 0.64 है., बंजड़ कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी को आवंटित कर उसके गैर खातेदारी में नामान्तरकरण संख्या 263 ग्राम पलायथा से अवैधानिक रूप से दर्ज कर दी, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

4— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस इस आशय की पेश की कि ग्राम पलायथा की आराजी खसरा नंबर 2096/1086 रकबा 0.64 है. लगभग 24 वर्ष पूर्व आवंटित की जाकर मौके पर दखल दिया गया था तभी से अप्रार्थी उक्त आराजी पर निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी के खातेदारी में चली आ रही है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा उसके परिवार की आजीविका का साधन उक्त आराजी है। इसके अलावा अप्रार्थी के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। अतः कार्यवाही निरस्त फरमावें।

5— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम पलायथा में सेटलमेन्ट 2010—2029 जमाबन्दी में खसरा नं. 769 रकबा 449 बीघा 8 बिस्वा किस्म नदी दर्ज रिकार्ड है, दिनांक 19.09.1998 को ग्राम पलायथा की आराजी खसरा नंबर 1086/3 रकबा 0.64 है., किस्म बंजड़ कायम की जाकर अवैधानिक रूप से अप्रार्थी को आवंटित कर उसके गैर खातेदारी में नामान्तरकरण संख्या 263 ग्राम पलायथा से अवैधानिक रूप से दर्ज कर दी। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म नदी खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्ध हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या ...3 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिए हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्ध मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:48 IST
Reason: SelfAttested

6— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम पलायथा में दर्ज आराजी खसरा नंबर 2096/1086 रकबा 0.64 है. किस्म बंजड़ को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 769 रकबा 449 बीघा 8 बिस्वा किस्म नदी से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7— तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 16.09.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:48 IST
Reason: SelfAttested